झाँसी नगर निगम, झाँसी।

पत्रांक : 472 / सदन वि0 / न0नि0 / 2018–19 दिनांक: 04 सितम्बर , 2018

विषय– मा0 सदन की बैठक दिनाँक 01.09.2018 की कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय / महोदया,

दिनाँक 01.09.2018 को सम्पादित मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में सादर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोक्त्।

भवदीय

04/09/18

(हरगोविन्द सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी सदन
नगर निगम, झाँसी।

04.9.2018

प्रतिष्ठा में,

श्री / श्रीमती ....
मा0 पार्षदगण / पदेन सदस्य
वार्ड क्रमांकः–

झाँसी नगर निगम, झाँसी

...क का स्थान :- नगर निगम प्रशासनिक भवन स्थित महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष

समय :- 11:00 बजे पूर्वान्ह

नगर निगम मा0 सदन की बैठक दिनांक 01.09.2018 का कार्यवृत्त

नगर निगम झाँसी के मा0 सदन की बैठक की कार्यवाही महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष में श्री रामतीर्थ सिंघल मा0 महापौर/सभापति की अध्यक्षता में श्रीमती रमा निरंजन मा0 सदस्य विधान परिषद सहित निर्वाचित पार्षदगणों की उपस्थिति में कोरम पूरा होने पर प्रारम्भ हुयी।

नगर आयुक्त जी ने सभाकक्ष में मा0 महापौर जी, पदेन सदस्य एवं सभी पार्षदगणों तथा पत्रकार बन्धुओं का सदन की बैठक में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनन्दन किया।

प्रस्ताव स 01— दिनाँक 17.03.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार विमर्श— **श्री हरगोविन्द सिंह यादव** सदन प्रभारी द्वारा मा0 महापौर महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रस्ताव सं0—1 दिनाँक 17.03.2018 की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु मा0 सदन के समक्ष रखा गया।

निर्णय— सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं 02— दिनाँक 17.03.2018 को सम्पन्न बैठक की अनुपालन आख्या की पुष्टि।

विचार विमर्श— **श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद** ने कहा कि अनुपालन आख्या के अन्य प्रस्ताव के क्र0 सं0—03 पर प्रस्तुत रिपोर्ट में जल निगम की जगह जल संस्थान अंकित है जिसे सही पढ़ा जाये एवं संशोधन कराया जाये।

श्री महेश गौतम मा0 पार्षद ने कहा कि उन्हौने सदन की बैठक दिनाँक 11.08.2018 के पूर्व तीन प्रस्ताव दिये गये थे उन्हें एजेण्डा में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि कुछ अन्य प्रस्ताव बाद में दिये गये है उन्हें एजेण्डे में सम्मिलित किया गया है। उन प्रस्तावों को बैठक के एजेण्डे में जोड़ा जाये तभी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

श्री दिनेश सिंह मा0 पार्षद ने श्री महेश गौतम मा0 पार्षद जी का समर्थन किया।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि आपके पत्र में दिये गये तीनो बिन्दुओं पर मा0 सदन में जबाव दिया जायेगा इस कारण एजेण्डे में नहीं जोड़ा गया है आपके प्रश्नों का मैं जबाव दूँगा जिससे आप संतुष्ट हो जायेगें।

श्री सुलेमान अहमद मंसूरी मा0 पार्षद ने शहर क्षेत्र में अपने वार्ड में प्रस्ताव को सम्मिलित न किये जाने पर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने कहा कि झलकारी बाई की मूर्ति के पास पाँच एकड़ भूमि नगर निगम की है शिकायत पर सम्पत्ति अधिकारी निरीक्षण करने हेतु मौके पर गये थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उन्नाव गेट अन्दर प्लाटिंग शुरू हो गयी है।

श्री जुगल किशोर मा0 पार्षद ने कहा कि जिलापूर्ति अधिकारी झाँसी को बैठक में आने के लिये पत्र भेजा गया था।

निर्णय— **उपरोक्तानुसार विचार विमर्श के उपरान्त सदन की कार्यवाही दिनाँक** 17.03.2018 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं 03— **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया** कि मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक दिनाँक 27.04.2018 के अन्य प्रस्ताव सं0—03 में सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव मौजा झाँसी खास की आराजी संख्या 2415 मि0 रकवा 1.416 हे0 एवं मौजा नया गाँव की आराजी सं0—426मि0 रकवा 0.146 हे0, 427 मि0 रकवा 0.231 हे0, 428 मि0 रकवा 0.825 हे0, 430मि0 रकवा 0.543 कुल रकवा 1.745 हे0 कें जुज भाग पर मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय के आवास निर्माण का प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

मर्श– श्री सुलेमान अहमद मंसूरी मा0 पार्षद ने कहा कि अन्य नगर निगमों में मा0 महापौर जी के आवास यदि बने है तो पत्र के माध्यम से जानकारी कर ली जाये।

णय– यदि अन्य नगर निगमों में मा0 महापौर को आवास उपलब्ध कराये गये है तो पत्राचार के माध्यम से उनकी जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाये। नगर आयुक्त के आवास बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं 04– श्री किशोरी रायकवार, मा0 पार्षद, वार्ड नं0–50 ने प्रस्तुत किया कि डडियापुरा बडागाँव गेट बाहर मुहल्ले में चार आँगनवाड़ी केन्द्र किराये के कमरों में संचालित है शासन द्वारा हर वार्ड में 1500 वर्ग फुट में आँगनवाड़ी केन्द्र बनाये जाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार ने प्रस्ताव माँगे है। वार्ड में अंजनी हनुमान मंदिर के पास व मास्टर कॉलोनी के पीछे नाले से लगी नगर निगम की रिक्त पड़ी जगह पर आँगनवाड़ी केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विचार विमर्श– श्री पुष्पेन्द्र मा0 पार्षद वार्ड नं0–10 ने कहा कि सभी वार्डो में नगर निगम की रिक्त भूमि पर आँगनवाड़ी केन्द्र बनाये जायें।

नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि आँगनवाड़ी केन्द्र नगर निगम संचालित नहीं करता है अपितु बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा केन्द्रें का संचालन किया जाता है ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग को आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने हेतु पत्राचार द्वारा अवगत कराया जायेगा।

निर्णय– तद्नुसार मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं 05– श्री किशोरी रायकवार, मा0 पार्षद, वार्ड नं0–50 ने प्रसव प्रस्तुत किया कि डडियापुरा के बडागाँव गेट बाहर आरामशीन के पास नगर पंचायत के समय की बनी क्षतिग्रस्त चुंगी के स्थान पर दुकान/कॉम्पलेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

प्रस्ताव सं 06– श्री रवि शर्मा जी, मा0 विधायक/पदेन सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि झाँसी महानगर के वार्ड नं0–24 सिमराहा स्थित भूमि नं0–181 रकवा 0.032 हे0 भूमि नं0–182 रकवा 0.041 हे0 भूमि नं0–183 रकवा 0.081 भूमि नं0–185 रकवा 0.081 हे0 कुल चार किता रकवा 0.235 हे0 भूमि श्रेणी–5 बंजर के खाते में दर्ज कागजात है मौके पर खाली है उक्त जगह पर शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद ने कहा कि सीपरी बाजार पहूज स्थित शमशान घाट पर लोड अधिक होने के कारण एक दूसरा शमशान घाट बनाया जाये।

नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि नये शमशान घाट के स्थान पर शवदाह हेतु अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाकर भी कार्य चल सकता है।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद ने कहा कि शमशान घाट में अतिरिक्त जगह नहीं है। जिस पर नगर आयुक्त जी ने कहा कि भूमि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये अगली बैठक में रखा जायेगा।

निर्णय– प्रस्ताव तद्नुसार सर्वसम्मति से स्वीकृत।

प्रस्ताव सं 07– सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम सीमान्तर्गत मौजा हंसारी गिर्द की आराजी सं0–856 रकवा 0.077 हे0 एवं आराजी सं0–857 रकवा 1.303 हे0 कुल दो कता रकवा 1.380 हे0 भूमि बंजर के रूप में दर्ज कागजात नगर निगम में निहित है जो उपरोक्त नम्बरान बंजर के स्थान पर व्यायामशाला एवं पार्क के नाम से आरक्षित रहेंगे एवं स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा। मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

प्रस्ताव सं 08– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम**, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 448/नौ–7–18–01 (झाँसी)/2018 नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनाँक 20 जून 2018 के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 सड़क राज्य परिवहन निगम झाँसी द्वारा मौजा कोछाभाँवर में 07 एकड़ भूमि परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है, मौजा कोछाभाँवर के आराजी सं0–516 ख रकवा 1.068 हे0 श्रेणी–6–4 टौरिया के रूप में आराजी सं0–516 ग रकवा 4.362 हे0 श्रेणी–6–4 पहाड़ के रूप में तथा आराजी सं0–516 रकवा 0.583 हे0 श्रेणी–5 बंज़र के रूप में दर्ज है। इस प्रकार कुल तीन किता रकवा 6.013 हे0 भूमि उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार नगर निगम की सम्पत्ति है।कुल रकवा 6.013 हे0 में से 2.835 हे0 (सात एकड़) भूमि परिवहन निगम के क्षेत्रीय मुख्यालय झाँसी को नगर निगम कार्यालय पत्र सं0 392/न0नि0/2018–19 दिनाँक 13.07. 2018 द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ को सन्दर्भित किया गया है। उ0प्र0 सड़क राज्य परिवहन निगम झाँसी एक वाणिज्यिक संस्था है अतः शासनादेश के प्रस्तर 4(1)(ग) के अनुसार शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त माल गुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा।
पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से आयुक्त झाँसी मण्डल झाँसी को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जायेगा। उ0प्र0 विधान सभा की मा0 आश्वासन समिति द्वारा आश्वासन सं0–45/2014 जनपद झाँसी में शहर के बाहर परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– **उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से मा0 सदन द्वारा इस आशय से स्वीकार किया गया कि इस प्रकरण में शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।**

प्रस्ताव सं 09– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम**, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम सीमा स्थित आँतिया तालाब झाँसी में नवनिर्मित कैण्टीन का न्यूनतम किराया 1,38,600/– वार्षिक निर्धारित है, निर्धारित किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है एवं मैथलीशरण गुप्त पार्क में कैण्टीन संचालन हेतु न्यूनतम किराया रू0 5,56,758/– वार्षिक निर्धारित है, निर्धारित किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार उक्त कैण्टीनों को किराये पर संचालन कराये जाने हेतु निविदा/ईनिविदा कराई गयी है परन्तु किसी भी निविदा दाता द्वारा ईनिविदा में प्रतिभाग नहीं किया गया है। अतः राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त दोनों कैण्टीनों की न्यूनतम वार्षिक किराये की धनराशि पर विचार करने हेतु। मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विचार विमर्श– **श्री लखन कुशवाहा मा0 पार्षद** ने कहा कि दोनों पार्कों की कैण्टीन की शर्तो के अनुसार कैण्टीन का संचालन किया जाये अन्य किसी भी तरह का व्यवसाय करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होना चाहिये।
मा0 महापौर जी ने कहा कि पूर्व में वार्षिक किराये को संशोधित करते हुये खुली नीलामी के माध्यम से एक वर्ष के लिये ठेकेदार को आवंटित किया जाये तथा नगर निगम के अधिकारियों को प्रत्येक माह मासिक निरीक्षण करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि शर्तों का उल्लघंन न हो।

निर्णय– **तदनुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

प्रस्ताव सं 10– **श्री प्रदीप खटीक, मा0 पार्षद वार्ड नं0 11** द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि झाँसी महानगर के प्रमुख इलाईट चौराहे पर दिन–रात आवागमन का अत्यधिक दवाव बना रहता है एवं जहाँ आये दिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः इलाईट चौराहे पर (जीवनशाह तिराहे से इलाईट चौराहे होकर तीनों दिशाओं में थाना नाबावाद एवं डमरू टॉकीज की ओर जोड़ने के लिये) फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने से समस्या का समाधान हो सकता है। इस फ्लाई ओवर के बनने से चौराहे पर जाम लगने से आम जनता को राहत मिलेगी। मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

विचार विमर्श– **नगर आयुक्त जी** द्वारा अवगत कराया गया कि इलाईट चौराहा झाँसी का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है तथा झाँसी की शान है। यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन से कर्माबाई चौराहा, ईलाइट चौराहा, जीवनशाह चौराहा, झलकारी बाई होकर मिनर्वा चौराहे तक एवं जीवनशाह से बी0के0डी0, खण्डेरावगेट तक तथा रेलवे स्टेशन से चित्रा चौराहा होकर बी0के0डी0 तक स्मार्ट रोड बनाये जाने का प्रस्ताव है ऐसी स्थिति में फ्लाई ओवर बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

निर्णय– **मा0 सदन द्वारा उपरोक्त तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।**

प्रस्ताव सं 11– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा करारी गाटा संख्या 396/2, रकवा 0.830 हे0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेवल हाउसिंग इन पार्टनरसिप के अन्तर्गत दुर्बल आयवर्ग, के भवनों के निर्माण हेतु परियोजना प्रबन्धक आवास एवं विकास परिषद झाँसी को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री विमल किशोर मा0 पार्षद ने कहा कि** नगर आयुक्त जी आपने विभागों को निशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव पूर्व से बना लिया था इन प्रस्तावों को सदन की बैठक में लाने का कोई मतलब नहीं था।

नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकाँक्षी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा कार्यदायी संस्था यथा आवास विकास परिषद एवं झाँसी विकास प्राधिकरण को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0 1131/आठ–1–17–08विविध/2016 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। अतः इस योजना हेतु नगर निगम को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है तथा मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक सोमवार को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में शासनादेश के क्रम में आवास विकास परिषद एवं झाँसी विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराये जाने की सुसंगत नियमों के आलोक में मा0 सदन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यवाही की गई है।

श्री जुगल किशोर मा0 पार्षद ने कहा कि यदि प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो क्या होगा।

मा0 पार्षद जी के इस कथन पर नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि प्रस्ताव निरस्त हो जायेगा तो नगर के झुग्गी झोपडी में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत मुख्य सचिव के उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश का उल्लंघन होगा।

निर्णय– **नगर आयुक्त जी** के उपरोक्त तथ्यों से मा0 सदन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेविल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत झाँसी विकास प्राधिकरणी एवं आवास विकास परिषद को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव सं 12– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा करारी गाटा संख्या 396/2 रकवा 2.110 हे0, 397 रकवा 0.360 हे0 कुल दो किता रकवा 2.470 हे0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेवल हाउसिंग इन पार्टनरसिप के अन्तर्गत दुर्बल आयवर्ग के भवनों के निर्माण हेतु झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **प्रस्ताव सं0 11 में हुए विचार विमर्श के क्रम में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

प्रस्ताव सं 13– श्री जुगल किशोर, मा0 पार्षद वार्ड नं0 17 ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनाँक 27.04.2018 में स्वीकृत प्रस्ताव कचहरी चौराहा (अम्बेडकर चौक) पर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के स्थान पर बडी ब्रास या कांस्य की 12 फीट आदमकद मूर्ति लगाये जाने एवं चौराहे का भव्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

प्रस्ताव सं 14– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा गढ़ियागाँव आराजी सं0 1589 हे0 रकवा 0.927 हे0, बंजर के रूप में दर्ज है। इसमें से 0.061 हे0 रिक्त भूमि आयुर्वेदिक चिकित्सालय को शासनादेश के क्रम में शासकीय विभाग होने पर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री सुलेमान अहमद मंसूरी मा0 पार्षद ने कहा कि** ग्वालियर रोड पर आर्युवेदिक कॉलेज स्थित है, जिसके आस–पास कई एकड़ जमीन खाली पड़ी हुयी है जिस पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है अतः अतिरिक्त जगह न दी जाये।

श्री महेश गौतम मा0 पार्षद ने भी समर्थन किया।

नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 03 जून 2016 के पत्र संख्या –32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। ग्वालियर रोड झाँसी से गढ़ियागाँव की दूरी अधिक होने एवं स्थानीय जनता की सुविधा के दृष्टिगत प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष लाया गया है।

निर्णय– **प्रस्ताव उपरोक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

प्रस्ताव सं 15– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा पिछोर में आराजी सं0 797 रकवा 0.081 हे0, बंजर के रूप में दर्ज है। जो नगर निगम झाँसी की सम्पत्ति है। रिक्त भूमि आयुर्वेदिक चिकित्सालय को शासनादेश के क्रम में शासकीय विभाग होने पर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **नगर आयुक्त जी द्वारा** बताया गया कि प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 03 जून 2016 के पत्र संख्या –32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। स्थानीय जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष लाया गया है।

निर्णय– प्रस्ताव उपरोक्तानुसार 810 वर्गमीटर भूमि आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत।

प्रस्ताव सं 16– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा कोछाभाँवर में आराजी सं0 824/1 रकवा 0.712 हे0, टौरिया के रूप में दर्ज है। जो नगर निगम झाँसी की सम्पत्ति है। इसमें से 0.061 भूमि होम्योपेथिक चिकित्सालय को शासनादेश के क्रम में शासकीय विभाग होने पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **नगर आयुक्त जी द्वारा** बताया गया कि प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 03 जून 2016 के पत्र संख्या –32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। होम्योपेथिक चिकित्सालय तैयार हो जाने पर क्षेत्रीय जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष लाया गया है।

निर्णय– **प्रस्ताव उपरोक्तानुसार 610 वर्गमीटर भूमि चिकित्सालय निर्माण हेतु नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

प्रस्ताव सं 17– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम**, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मौजा लहरगिर्द में आराजी सं0 758 मि0 रकवा 0.525 हे0, बंजर के रूप में दर्ज है। तथा 2.663 हे0 पहाड़ के रूप में दर्ज है। इस प्रकार कुल दो किता कुल रकवा 3.188 हे0 नगर निगम झाँसी की सम्पत्ति है। यह भूमि मौके पर रिक्त है इसमें से 0.061 भूमि होम्योपेथिक चिकित्सालय को शासनादेश के क्रम में शासकीय विभाग होने पर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **प्रस्ताव उपरोक्तानुसार 610 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

प्रस्ताव सं 18– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम**, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मौजा करारी में गाटा सं0 149 रकवा 2.157 हे0, गाटा सं0 148 रकवा 0.093 हे0 कुल दो किता रकबा 2. 250 हे0 जो श्रेणी –5–3–ड में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। तथा गाटा सं0 128 रकवा 0.696 हे0 एवं 148 मि0 रकवा 0.190 हे0 कुल दो किता रकवा 0.886 हे0 श्रेणी–6–4 पत्थर के रूप में दर्ज है इस प्रकार कुल रकवा 3.136 हे0 नगर निगम की सम्पत्ति है एवं मौके पर रिक्त है। अतः कौशल एवं क्षमता विकास योजनान्तर्गत सूर्य मित्र प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण (यू0पी0 नेडा) को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– मा0 सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण कर लिया जाये तथा यह देख लिया जाये कि यह भूमि नगर निगम के प्रस्तावित आगामी योजनायें हेतु उपयोगी तो नही है। तत्पश्चात भौतिक सत्यापन के उपरान्त आगामी सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

निर्णय– **मा0 सदन द्वारा विचार विमर्श के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।**

प्रस्ताव सं 19– **श्री किशोरी रायकवार, मा0 पार्षद, वार्ड नं0 50** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि वार्ड नं0–50 डडियापुरा स्थित सूजे खाँ खिड़की बाहर बनाये जा रहे पार्क का नाम वीर एकलव्य पार्क रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

प्रस्ताव सं 20– **श्री लखन कुशवाहा, मा0 पार्षद वार्ड नं0 53** ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम, झाँसी सीमान्तर्गत भवन स्वामियों/अध्यासियों को विगत वर्षों की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31 अगस्त, 2018 तक गृहकर की वर्तमान माँग में 10 प्रतिशत की छूट तथा 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 तक गृहकर की वर्तमान माँग में 05 प्रतिशत की छूट दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श – **श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद** ने कहा कि दिनाँक 01.09.2018 को मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु–20 में नगर निगम झाँसी सीमान्तर्गत भवन स्वामियों/अध्यासियों को विगत वर्षो की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31 अगस्त 2018 तक वर्तमान माँग में 10 प्रतिशत की छूट तथा 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 तक गृहकर की वर्तमान माँग में 05 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। जो तथ्यहीन प्रतीत होता है क्योकि 31 अगस्त 2018 तिथि निकल चुकी है अतः इसे संसोधित कर 01 सितम्बर 2018 से 30 सितंम्बर 2018 तक ग्रहकर की वर्तमान माँग में 10 प्रतिशत की छूट तथा 01 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक ग्रहकर की वर्तमान माँग में 05 प्रतिशत की छूट दिये जाना उचित होगा।

श्री लखन कुशवाहा मा0 पार्षद ने कहा कि नगर निगम द्वारा आवासीय भवन स्वामियों/अध्यासियों के ग्रहकर में अप्रत्याशित रूप से कई गुना बृद्धि कर दी गयी है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बड़े हुये ग्रहकर में आपत्ति दर्ज कराने हेतु 03 सितम्बर 2018 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। दिनाँक 02 सितम्बर को रविवार अवकाश एवं 03 सितम्बर 2018 को जन्माष्टमी पर्व पर सार्वजनिक अवकाश है। अतः भवन स्वामियों को आपत्ति दाखिल करने के लिये कम से कम 03 माह का समय दिया जाये।

Ramtirth
(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री विमल किशोर मा0 पार्षद ने कहा मैं अधिकारियों से यह जानना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा ग्रहकर का सर्वे कब प्रारम्भ कराया गया एवं कब पूर्ण हुआ। यह सर्वे कितने समय में पूर्ण हुआ है, जानकारी दी जाये तथा नगर निगम अधिनियम के अनुसार भवन के निर्माण के आयु के हिसाब से मूल्यांकन में छूट दी जाये।

श्री रोहन सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर निगम झाँसी में सामान्य कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2002–03 में हुआ था उसके पश्चात कोई भी सामान्य कर निर्धारण नहीं हुआ जबकि नगर निगम अधिनियम 1959 एवं सम्पत्ति कर नियमावली के अनुसार प्रत्येक चार वर्ष में पुनः कर निर्धारण हो जाना चाहिये। नगर निगम अधिनियम 1959, एवं सम्पत्ति कर नियमावली 2000 तथा सरकारी असाधारण गजट 27 दिसम्बर 2013 गुणाँक पद्धति के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामी एवं अध्यासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर यह अवगत कराया गया कि अपना–अपना स्वकर निर्धारण स्वयं निर्धारित प्रारूप पर भरकर नगर निगम में जमा करा दें किन्तु दो बार समाचार पत्रों में अलग–अलग माह में प्रचार प्रसार करने के उपरान्त भी भवन स्वामियों द्वारा स्वतः कर प्रपत्र भरने में रूचि नहीं दिखाई गयी। तदोपरान्त रूचि न लेने के कारण नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त गुणांक पद्धति के आधार पर सर्वे कराया गया और सर्वे उपरान्त एक नई कर निर्धारण सूची भवन स्वामियों के अवलोकन हेतु 3 अगस्त 2018 को नगर निगम की बेबसाइट पर इस आशय से अपलोड करायी गयी तथा नगर निगम में तीन काउण्टर स्थापित कर कर निर्धारण सूची को सामान्य नागरिकों के अवलोकनार्थ व्यवस्था की गई। इस आशय की समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी दी गई कि यदि किसी भी भवन स्वामी/अध्यासी को प्रदर्शित सूची पर अपने भवन से सम्बन्धित वार्षिक मूल्यांकन अथवा अन्य सूचनाओं पर कोई आपत्ति है, तो वह नगर निगम कार्यालय में साक्ष्यों सहित प्रस्तुत कर सकता है।

नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि मा0 सदन उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–174 ख–2(क) एवं 2(ख) के अन्तर्गत संकल्प करता है तो नियमानुसार छूट दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 के नियम–4 (क) के स्पष्टीकरण में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कर निर्धारण के प्रयोजन से भवन के कवर्ड एरिया का 80 प्रतिशत क्षेत्रफल ही कारपेट एरिया माना जायेगा।

निर्णय– (1) नगर निगम झाँसी सीमान्तर्गत भवन स्वामियों/अध्यासियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 01 सितम्बर 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक ग्रहकर की वर्तमान माँग में 10 प्रतिशत की छूट तथा 01 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक ग्रहकर की वर्तमान माँग में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(2) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174–3 (2) (क) एवं (ख)–के अन्तर्गत आवासीय भवनों पर भवन की आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में अवधारित वार्षिक मूल्य पर भवन का कर निर्धारण किया जाये तथा नियमावली के नियम–4(1) के अनुसार कारपेट एरिया की गणना की जाये।

तद्नुसार मा0 सदन द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं 21– **श्रीमती अजीदा मकरानी, मा0 पार्षद वार्ड सं0 39** द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

(**A**) अन्य प्रान्तों की भाँति उ0प्र0 के सभी नगर निगमों में निर्वाचित पार्षदों को मासिक मानदेय भत्ता एवं पेंशन अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(**B**) वार्ड नं0–39 में खाली पड़े बिजली के खम्बों पर एल0ई0डी0 लाइटें लगवाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(**C**) वार्ड नं0–39 का प्राथमिक पाठशाला बाहर दतिया गेट अलीगोल खिड़की बाहर है, को जूनियर विद्यालय में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव एवं वर्तमान प्राथमिक पाठशाला में बने 03 कमरों व बच्चों के खेलने के मैदान में पुराव कराकर फर्श कराकर एपेक्स फर्श निर्माण व चारों ओर वृक्षारोपण/फुलवारी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार।

Ramtirth
(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

(**D**) वार्ड नं0–39 में स्थाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– प्रस्ताव सं0–**21 (A)** **मा0 सदन की स्वीकृति के क्रम में शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।**

प्रस्ताव सं0–**21 (B)**, नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम में ई0ई0एस0एल0 द्वारा पूर्व से लगी हुई 24077 सोडियम लाइट को एल0ई0डी0 में परिवर्तित किया जा चुका है तथा 6833 ऐसे पोल है जिन पर कोई लाइट नही लगी थी। मा0 कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में रिक्त खम्भों पर नगर निगम द्वारा एल0ई0डी0 लाइट क्रय कर अधिष्ठापित करायी जानी है। राज्य वित्त आयोग से 1974 एल0ई0डी0 लाइट क्रय की जा चुकी है, शेष 4856 लाइट क्रय करने हेतु 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से व्यवस्था की जा रही है।

अधिकांश मा0 पार्षदगणों द्वारा मा0 महापौर जी से अनुरोध किया गया कि जितनी लाइट क्रय की गई है, उनमें से प्रत्येक वार्ड में समान रूप से 30–30 लाइट अधिष्ठापित करा दी जाये।

मा0 महापौर जी द्वारा तदनुसार सहमति दी गई।

प्रस्ताव सं0–21(**C**) नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय का संचालन नगर निगम द्वारा नहीं कराया जाता है। अतः बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत करा दिया जायेगा।

प्रस्ताव सं0–**21(D)** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिख कर अवगत करा दिया जायेगा।

मा0 पार्षद जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णय में वर्णित व्यवस्था के क्रम में स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं 22– **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा लहरगिर्द में आराजी सं0–1436 मि0 रकवा 5.188 हे0 जो पहाड़ के रूप में दर्ज है। इसमें से 2000 (दो हजार) वर्गफुट भूमि होम्योपैथी चिकित्सालय के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **नगर आयुक्त जी द्वारा** बताया गया कि प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 03 जून 2016 के पत्र संख्या –32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। होम्योपेथिक चिकित्सालय तैयार हो जाने पर क्षेत्रीय जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष लाया गया है।

निर्णय– **प्रस्ताव नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत ।**

प्रस्ताव सं 23– **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक** के पत्रॉक एसटी–एसएसपी–26/2018 दिनाँक अगस्त 06, 2018 में जनपद के नगर क्षेत्र में स्थित प्रमुख थानों नावाबाद, कोतवाली, सदर बाजार तथा बड़ागाँव में माल मुकदमाती वाहनों को खड़ा करने में भारी दिक्कत होने के फलस्वरूप, नगर निगम की खाली पड़ी भूमि में से 5 से 10 हजार स्क्वायर मीटर भूमि नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने की माँग की गयी है। समस्या के निदान हेतु मौजा गढियागाँव में गाटा सं0 1754 रकवा 1.594 हे0 में से 8000 स्क्वायर मीटर शासनादेश के क्रम में निःशुल्क दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **मा0 पार्षदगण के अनुरोध पर प्रस्ताव सं0 23 को मा0 सदन की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव सं 24– **श्री जुगल किशोर, मा0 पार्षद वार्ड 17 ने प्रस्ताव रखा कि** महानगर के सभी वार्डों में क्षेत्र की जनता से जुड़ी जन–समस्याओं के निराकरण के लिये वार्ड के पार्षद को क्षेत्र की जनता को ससम्मान बैठाने हेतु वार्ड के प्रमुख चौराहे या प्रमुख जगह पर क्षेत्रीय जन–समाधान केन्द्र बनवाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– नगर आयुक्त जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार प्रत्येक वार्ड में समाधान केन्द्र बनाये जाने की व्यवस्था नगर निगम अधिनियम में नही है और न ही अन्य नगर निगमों में इस प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि की उपलब्धता, उनके संचालन की क्या व्यवस्था होगी, इसका भी नियमों में कोई उल्लेख नही है।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

निर्णय– इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं 25– **श्री पुष्पेन्द्र वर्मा, मा0 पार्षद वार्ड नं0 14 द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि** नगर निगम झाँसी के विभिन्न पार्कों में नागरिकों को प्रत्येक मौसम में योग सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कुछ प्रमुख उद्यानों में योगशेड के निर्माण पर विचार।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत ।**

प्रस्ताव सं 26– **श्री प्रदीप खटीक, मा0 पार्षद वार्ड नं0 11 द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि** झाँसी नगर निगम सीमा स्थित पुराने बस स्टैण्ड पर फोर्ट बाजार, अस्तबल के नाम से दुकानें व्यक्तियों के नाम से बहुत कम लगभग रू0 112/– से लेकर रू0 200/–वार्षिक किराये पर आवंटित है। इस मार्केट को स्मार्ट सिटी के अनुरूप कामर्शियल कम्पलेक्स के रूप में विकसित कर पुनः किराया निर्धारण कर नगर निगम की आय में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री नीरज गुप्ता मा0 पार्षद** ने कहा कि मार्केट का परीक्षण कराने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही होना चाहिये।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत ।**

प्रस्ताव सं 27– **श्री पुष्पेन्द्र, मा0 पार्षद वार्ड नं0 10** प्रदेश के कई नगर निगम स्थानीय निकायों ने अपने वोर्ड की बैठक में 74 वाँ संविधान संसोधन के प्रस्ताव को पारित कराकर शासन को संदर्भित किया गया है। अतः झाँसी नगर निगम की सदन की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु विचारार्थ।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत शासन को पत्र भेजा जाये।**

प्रस्ताव सं 28– **प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनाँक 27.04.2018 के प्रस्ताव सं0–05 पी0पी0पी मॉडल पर शुलभ शौचालय निर्माण स्वीकृत प्रस्ताव पर मिडास कम्पनी की सर्वाधिक दरें स्वीकृत होने के दो माह बाद किसी तरह के पत्राचार न होने एवं समय से कार्य प्रारम्भ न होने पर मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ।

विचार विमर्श– **श्री महेश गौतम मा0 पार्षद** ने कहा कि मिडास कम्पनी की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाये मैंने पूर्व में भी इसका विरोध किया था।

श्री अनिल सोनी मा0 पार्षद, श्री विद्याप्रकाश दुबे, मा0 पार्षद, श्री अमन राय मा0 पार्षद, श्री राजेश त्रिपाठी, मा0 पार्षद आदि द्वारा कहा गया कि मिडास कम्पनी का अनुबन्ध नगर निगम हित में है। यद्यपि अभी तक मिडास कम्पनी द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया गया है तथापि अन्तिम नोटिस चेतावली के साथ देते हुये एक अवसर और दिया जाये। उसके उपरान्त भी यदि मिडास कम्पनी द्वारा कार्यवाही नही की जाती है तो निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

निर्णय– **अनुबन्ध निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव सं 29– **प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनाँक 27.04.2018 के प्रस्ताव सं0–04 पी0पी0पी मॉडल पर महानगर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट/कॉसन लाइट स्थापित करने के स्वीकृत प्रस्ताव पर मिडास कम्पनी की सर्वाधिक दरें स्वीकृत होने के दो माह बाद किसी तरह के पत्राचार न होने एवं समय से कार्य प्रारम्भ न करने पर मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ।

विचार विमर्श– **श्री अनिल सोनी मा0 पार्षद एवं श्री अमन राय मा0 पार्षद** द्वारा कहा गया कि अभी निरस्त न करके मिडास कम्पनी को चेतावनी एवं अंतिम नोटिस देते हुये एक अवसर और दिया जाये।

निर्णय– **अनुबन्ध निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव सं 30– **श्री रवि शर्मा जी मा0 विधायक/पदेन सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** झाँसी– ग्वालियर रोड नवनिर्मित किया गया है तथा अंसल तिराहे को भी विकसित किया गया है। नवनिर्मित झाँसी ग्वालियर मार्ग का नाम **"अटल पथ"** एवं अंसल तिराहे का नाम **"अटल चौक"** रखने के प्रस्ताव मा0 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

विचार विमर्श— **श्री अमन राय मा0 पार्षद** ने कहा कि अंसल तिराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी स्थापित करायी जाये ।

श्री विद्या प्रकाष दुवे मा0 पार्षद ने कहा कि अटल पथ के दो जगह पर भव्य पत्थर भी लगाये जाये।

निर्णय— **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।**

प्रस्ताव सं 31— **सम्पत्ति अधिकारी नगर निगम, झाँसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** मौजा लहरगिर्द (मसीहागंज) स्थित गाटा संख्या 1436 मि0 रकवा 5.188 हे0 जो पहाड़ के रूप में दर्ज है एवं नगर निगम की सम्पत्ति है जो कि रिक्त है को महानगर के वरिष्ठ नागरिकों के लिये डे—केयर सेन्टर/मनोरंजन केन्द्र की स्थापना हेतु जमीन/भवन उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श— **श्री महेश गौतम मा0 पार्षद** ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव में संशोधन करते हुये इस स्थान पर चिकित्सालय का निर्माण एवं कारगिल पार्क के पास मन्दिर प्राँगण में वरिष्ठ नागरिकों के लिये डे—केयर सेन्टर/मनोरंजन केन्द्र की स्थापना की जाये ।

नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा जायेगा।

निर्णय— **वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे—केयर सेन्टर कारगिल पार्क में बनाये जाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया।**

<u>अन्य चर्चा के बिन्दु</u>— **श्रीमती सुशीला दुबे, मा0 पार्षद ने कहा कि** जो नये 12 सफाई हवलदार बनाये गये है वह कर्मचारियों की हाजिरी भरना नहीं जानते वह दूसरे लोगों से हाजिरी भरवाते हैं। ग्रहकर की आपत्ति की तारीख बड़ाये जाने की माँग की।

श्री सुरेन्द्र साहू, मा0 पार्षद वार्ड नं0—40 ने आजादगंज में काशीराम पार्क के पास खाली पड़ी जमीन पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की माँग की।

श्री महेश गौतम, मा0 पार्षद वार्ड नं0 16 ने प्रत्येक दो माह में सदन की बैठक कराये जाने हेतु मा0 महापौर जी से अनुरोध किया।

मा0 महापौर जी ने मा0 सदन के सभी पार्षदों की भावनाओं का सम्मान करते हुये प्रत्येक दो माह में सदन की बैठक कराये जाने की घोषणा की।

श्री प्रदीप नगरिया, मा0 पार्षद वार्ड नं0 60 ने कहा कि नगर निगम ने कार्यालय के बिजली के बिल की खपत रोकने के लिये प्रशासनिक भवन में सोलर प्लाँट स्थापित कराया था जिस पर करोड़ों रूपये व्यय किया गया था लेकिन सोलर प्लांट को स्थापित होने के बाद उसका नगर निगम के प्रशासनिक भवन में उपयोग नहीं किया गया जिससे उसके अनुरक्षण की समय सीमा भी निकल चुकी है।

श्री कन्हैया कपूर, मा0 पार्षद वार्ड नं0 46 ने वार्डो में लगाई गयी लाइटों के बन्द होने पर उनकी मरम्मत न होने से अन्धकार पड़ा हुआ है शिकायत करने पर भी महीनों में लाइटें ठीक नहीं की जाती है।

श्री अब्दुल जाविर, मा0 पार्षद वार्ड नं0 45 ने कहा कि उनके वार्डो में भी लगाई गयी लाइटें बन्द पड़ी है आये दिन मुख्य मार्गो पर अन्धकार पड़ा रहता है जिससे आये दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव पर 6000 लाईटें नगर निगम द्वारा क्रय की जाना थी जिसमें से 1974 लाइटें क्रय कर ली गयी है।

श्री जुगल किशोर मा0 पार्षद वार्ड नं0 17 ने कहा कि 1974 लाइटें कितनी धनराशि की खरीदी गयी है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि लाईटें हेविल्स कम्पनी की **AAA** मानक की खरीदी गयी है।

Rantirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री अविनाश यादव मा0 पार्षद वार्ड नं0 38 ने कहा कि लाईटें क्या एक ही वॉट की है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि खरीदी गयी 1300 लाईटें 90 वॉट एवं 674 लाईटें 120 वॉट की है।

श्री महेश गौतम, मा0 पार्षद वार्ड नं0 16 ने कहा कि EESL कम्पनी द्वारा किया गया एग्रीमेन्ट मंगाया जाये।

श्री विमल किशोर, मा0 पार्षद वार्ड नं0 06 ने कहा कि क्या कम्पनी भारत सरकार की है, कम्पनी द्वारा किया गया एग्रीमेन्ट प्रस्तुत न करने पर कार्यवाही की जाये।

श्री गौरव इंजीनियर, EESL कम्पनी द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा कराया गया अनुबन्ध दिनाँक 24.02.2017 को नगर निगम अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। कम्पनी द्वारा चौबीस हजार लाइटें बदलकर लगाई जा चुकी है। लगभग 6843 पोल खाली है।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड नं0 46 ने कहा कि किसी भी पार्षद से लाइटें लगाने के सम्बन्ध में नहीं पूछा गया।

EESL कम्पनी के इंजीनियर द्वारा बताया गया कि महानगर में लाइटों की मरम्मत के लिये ग्यारह टीमें कार्यरत है।

श्री दिनेश प्रताप मा0 उपसभापति ने कहा कि सभी 60 वार्डों में समान रूप से 30–30 लाइटें लगाई जाये बाकी शेष 174 लाईटें मा0 महापौर जी की अनुमति से लगाई जायें तथा EESL कम्पनी के ऊपर नगर निगम का एक अधिकारी होना चाहिये।

निर्णय– मा0 महापौर जी ने प्रत्येक वार्ड में 30 लाईटें लगाने की स्वीकृति प्रदान की।

श्री विमल किशोर मा0 वार्ड नं0 06 पार्षद ने कहा कि नगर निगम झाँसी में स्वच्छ भारत मिशन की फंडिग कहा से चल रही है।

नगर आयुक्त जी ने अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है शासन से इस योजना के मद में धनराशि प्राप्त हो रही है।

श्री विमल किशोर मा0 पार्षद वार्ड नं0 06 ने कहा कि मेरे वार्ड में जुगनू मैरिज हॉल में जन कल्याण समिति संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मा0 महापौर के अतिरिक्त कितने पार्षदों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। क्या मा0 महापौर जी व्यक्तिगत रूप से भाग लेने गये थे जिसमें क्षेत्रीय पार्षद को नहीं बुलाया गया यह भेदभाव क्यों।

मा0 महापौर जी ने अवगत कराया कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद को अवश्य आमंत्रित किया जायेगा।

श्री विमल किशोर मा0 पार्षद वार्ड नं0 06 ने कहा कि लखनऊ में आयोजित स्मार्ट सिटी के सम्मान समारोह में भाग लेने मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त जी तथा उनके साथ अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति कौन था।

श्री सुलेमान अहमद मंसूरी मा0 पार्षद ने कहा कि नगर आयुक्त जी आपके नवरत्नों में से एक रत्न डा0 राकेश बाबू गौतम नगर स्वास्थ्य अधिकारी मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है सभी वार्डों में नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी है आम नागरिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने एक महिला के नाम से शौचालय निर्माण के लिये नगर निगम से रू0 4000/– की रिकवरी का नोटिस भेजा है, जबकि महिला के खाते में नगर निगम से कोई धनराशि नहीं भेजी गयी है। जब उनसे इस बात की शिकायत की गयी तो वह सम्बन्धित महिला से समझौता करने के लिये दबाव बना रहे है।

उन्होंने इस सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम झाँसी से कार्यमुक्त करने हेतु सभी पार्षदों की सहमति का पत्र प्रस्तुत कर तत्काल हटाने की माँग की।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

नगर आयुक्त जी ने अवगत कराया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी उ0प्र0 चिकित्सा संवर्ग सेवा के अधिकारी है, जिन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी झाँसी द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नगर निगम झाँसी से सम्बद्ध किया गया है। वह दिनांक 23.08.2018 से 08.09.2018 तक अर्जित अवकाश पर होने के कारण मा0 सदन की बैठक में उपस्थित नही हो सके। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटा दिया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग एवं सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में जबतक वैकल्पिक व्यवस्था नही हो जाती तब तक हटाया जाना उचित नही होगा।

निर्णय– **तदनुसार प्रस्ताव पर मा0 सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई।**

अन्य प्रस्ताव 01– **श्री अविनाश यादव, मा0 पार्षद** वार्ड नं0–38 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सरांय, झाँसी में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु एक नलकूप स्थापित करवाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **नगर आयुक्त जी** द्वारा अवगत कराया गया अमृत0 योजना के अन्तर्गत महानगर के सभी वार्डों में पाइप लाइन बिछाये जाने की कार्ययोजना बना कर कार्य किया जा रहा है जिससे नगर के सभी वार्डो में पेयजल समस्या का निराकरण हो जायेगा। वार्ड नं0 38 सरांय में नलकूप की स्थापना के लिये जलनिगम से नलकूप लगाये जाने हेतु पानी की उपलब्धता के आधार पर जलनिगम को नलकूप लगाये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा।

निर्णय– जल निगम द्वारा वार्ड में सर्वे करके पानी की उपलब्धता होने पर नलकूप की स्थापना हेतु जलनिगम को पत्र लिखा जायेगा। सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अन्य प्रस्ताव 02– **श्री कन्हैया कपूर, मा0 पार्षद** वार्ड नं0–46 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वार्ड नं0–46 स्थित लहर की देवी मन्दिर के सामने नगर निगम की रिक्त जगह पर पार्क निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वार्ड नं0–46 स्थित लहर की देवी मन्दिर के सामने नगर निगम की रिक्त जगह पड़ी हुयी है जिस पर अवैध रूप से कब्जे होते रहते है उस क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है अतः जनहित में रिक्त भूमि पर पार्क का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 03– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद वार्ड नं0 41** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वार्ड नं0–23 स्थित लहरगिर्द में नवनिर्मित पार्क का नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्क एवं जीवन की झाँकी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद वार्ड नं0 41** ने पत्र प्रस्तुत कर वार्ड नं0–23 स्थित लहरगिर्द में नवनिर्मित पार्क का नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय का नाम एवं जीवन की झाँकी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मा0 महापौर जी ने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा भारत देश के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया है उनके जीवनवृत्त को झाकियों/चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर उनके त्याग एवं बलिदान को जीवंत रखने के लिये इस तरह के प्रस्ताव प्रशंसनीय हैं।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 04– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद वार्ड नं0 41** वार्ड नं0 41 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि गढ़ियागाँव में नवनिर्मित पार्क का नामकरण " **महाराण प्रताप**" के नाम एवं उनके जीवन परिचय की झाँकी उक्त पार्क में अंगीकृत करने की स्वीकृति करने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद** ने पत्र प्रस्तुत कर गढ़ियागाँव में नवनिर्मित पार्क का नामकरण हिन्दुस्तान के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले महापुरूष श्रद्धेय " महाराण प्रताप" के नाम से सुशोभित करने एवं उनके जीवन परिचय कीं झाँकी उक्त पार्क में अंगीकृत करने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

निर्णय– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

Rantiruth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

अन्य प्रस्ताव 05– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद** वार्ड नं0 41 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उन्नाव गेट बाहर नवनिर्मित पार्क का नाम संत रविदास के नाम एवं उनके जीवन परिचय की झाँकी को पार्क में अंगीकृत करने की स्वीकृति करने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री विद्या प्रकाश दुवे मा0 पार्षद** ने पत्र प्रस्तुत कर महापुरूष श्रद्धेय " **संत रविदास**" के नाम से करने एवं उनके जीवन परिचय की झाँकी उक्त पार्क में अंगीकृत करने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

निर्णय– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अन्य प्रस्ताव 06– **श्री रवि शर्मा जी मा0 विधायक/पदेन सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि** वार्ड नं0–21 ग्राम करारी में नगर निगम की भूमि पर दंगल/स्टेडियम बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्रीमती ममता कुशवाहा मा0 पार्षद वार्ड क्र0–21** ने पत्र प्रस्तुत कर वार्ड में नगर निगम की रिक्त भूमि पर दंगल/स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है प्रस्ताव के समर्थन में श्री रवि शर्मा मा0 विधायक/ पदेन सदस्य ने भी संस्तुति की है।

निर्णय– **वार्ड में दंगल/स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता पर उसका परीक्षण कराने उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 07– **श्री लखन कुशवाहा मा0 पार्षद वार्ड नं–53** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जिला सहकारी बैंक परिसर में एपेक्स/नाली निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री लखन कुशवाहा मा0 पार्षद** ने पत्र प्रस्तुत कर वार्ड क्र0–53 में जिला सहकारी बैंक परिसर में एपेक्स/नाली निर्माण कार्य का प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष स्वीकृत हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 08-- **श्री मुकेश सोनी उर्फ बन्टी सोनी, मा0 पार्षद वार्ड नं0–58** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि शहर कोतवाली परिसर में एपेक्स लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री मुकेश सोनी उर्फ बन्टी सोनी, मा0 पार्षद वार्ड नं0–58** के पार्षद ने पत्र प्रस्तुत कर शहर कोतवाली में प्रवेश करने वाली सड़क एवं परिसर में आगुन्तुकों को कोई समस्या न हो एपेक्स लगाये जाने का जनहित में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

निर्णय– **सर्वसम्मति से स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 09– **श्री पुष्पेन्द्र, मा0 पार्षद वार्ड नं–10** गढ़ियागाँव में नगर निगम की रिक्त जगह पर चिकित्सालय बनवाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श– **श्री पुष्पेन्द्र सिंह मा0 पार्षद** वार्ड नं0–10 ने पत्र प्रस्तुत कर नगरा जिसमें लगभग दो लाख की जनता निवास करती है उसके स्वास्थ्य एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्राथमिक उपचार हेतु गढ़ियागाँव में नगर निगम की रिक्त भूमि पर चिकित्सालय बनवाये जाने का अनुरोध किया है।

निर्णय– **तदनुसार** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा जायेगा।

अन्य प्रस्ताव 10– **श्री महेश गौतम मा0 पार्षद वार्ड नं0 16** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने सदन की बैठक दिनाँक 11.08.2018 के पूर्व तीन प्रस्ताव दिये गये दिये गये प्रस्तावों पर विचार।

विचार विमर्श– **नगर आयुक्त जी** द्वारा तीनो प्रश्नों का जबाव श्री महेश गौतम मा0 पार्षद को दिया गया तथा उत्तरालेख की एक प्रति मा0 सदन में ही मा0 पार्षद जी को उपलब्ध करायी गई। जो निम्न प्रकार है:–

1. **नगर निगम निर्माण विभाग में 30 प्रतिशत ब्लो कार्यों को अस्वीकृत कर दिया गया है और नगर निगम के ही विद्युत विभाग में 30 प्रतिशत ब्लो दरों पर स्वीकृत कर लिया गया है:–**

Ramtirath

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

कार्यों के आंगणन (एस.ओ.आर.) की दरों से अत्यधिक कम दरों पर निविदा स्वीकृत करने से कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गुणवत्ता में सुधार हेतु एस.ओ.आर. की दरों से अत्यधिक कम दरों पर ठेकेदारों की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया है जिससे निर्माण कार्य गुणवत्ता परक हो सके तथा जो निर्माण कार्य हो रहे है, वह अधिक समय तक जनपयोगी बने रहे। जहां तक स्वीकृत करने के अधिकार का प्रश्न है वह कार्य की आवश्यकता व महत्ता के दृष्टिगत निर्णय लिया जाता है।

2. पूर्व में निर्माण विभाग में 35 प्रतिशत ब्लो कार्यों को अस्वीकृत कर पुनः उन कार्यों को 15 प्रतिशत में स्वीकृत किया गया, इससे नगर निगम के पैसे की क्षति हो रही है, व इसके पूर्व 45 प्रतिशत ब्लो कार्य किये गये और उनका भुगतान किया गया, 45 प्रतिशत ब्लो कार्यों का भुगतान मानक के अनुरूप हुआ है अथवा नहीः–

जहाँ तक पूर्व में 35 प्रतिशत निम्न दरों कार्यों को अस्वीकृत कर करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत करा है कि कुछ ठेकेदारों को कार्य के मानक एवं गुणवत्ता को बिना ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा में आंगणन से काफी कम दरो पर निविदा डाल देते है, जबकि इतनी कम दरों पर कार्य को गुणवत्तापूर्वक एवं मानक के अनुरूप बनाये रखना सम्भव नही होता है, इसीलिए प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में मानक एवं महत्ता के दृष्टिगत विवेकानुसार निर्णय लिया जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहे एवं अधिक समय तक कार्य जनपयोगी बना रहे।

3. स्मार्ट सिटी के द्वारा प्रोजेक्ट मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये कि झाँसी नगर निगम में स्मार्ट सिटी के द्वारा क्या–क्या किये जायेंगेः–

झाँसी स्मार्ट सिटी लि0 हेतु आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी की अध्यक्षता में एस0पी0वी0 का गठन किया गया। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही झाँसी स्मार्ट सिटी का संचालन किया जा रहा है।

अन्य प्रस्ताव 11– **श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड नं0 46** ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सड़क नाली की रिपेयरिंग हेतु रू0 दो लाख के कार्य कराये जाने थे लेकिन नगर निगम के निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण कई वार्डों में रिपेयरिंग का कार्य नहीं कराया जा सका।

श्री सुरेन्द्र साहू मा0 पार्षद वार्ड नं0 40 ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में दस लाख रूपये तक के मरम्मत के कार्य कराये जाये।

श्री उमेश जोशी मा0 पार्षद वार्ड नं0 36 ने कहा कि उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। वार्डों में कम से कम रू0 सात लाख के मरम्मत के कार्य कराये जायें।

मा0 महापौर जी ने अवगत कराया कि प्रत्येक वार्ड में सड़क नाली मरम्मत एवं आवश्यक कार्य आवश्यकतानुसार **रू0 सात लाख** तक के निर्माण कार्य नियमानुसार कराये जायेंगे।

निर्णय– **तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत।**

अन्य प्रस्ताव 12– **श्री रविचन्द्र निरंजन, जोनल सेनेटरी आफीसर** द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2019 की तैयारियों एवं नियत मापदण्डों को पूर्ण करने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय – भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नगर आयुक्त एवं महापौर को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

अन्त में मा0 महापौर जी ने सदन की बैठक में उपस्थित मा0 पार्षदगणों एवं सभी पत्रकार बन्धुओं को धन्यवाद देते हुये सदन की बैठक समाप्त करने की घोषणा की।

Ramtirth

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

(रामतीर्थ सिंघल)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी